न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03बी/202017 – निगरानी

छोटूलाल पुत्र रामलाल जाट
निवासी बडला तहसील आसीन्द
जिला भीलवाडा

बनाम

1. मगना पुत्र मूला जाट निवासी बडला तहसील आसीन्द
2. माधु पुत्र मूला जाट निवासी बडला तहसील आसीन्द
3. ग्राम पंचायत कालियास जरिये सरपंच/प्रशासक ग्राम पंचायत कालियास तहसील आसीन्द
4. ग्राम पंचायत मोतीपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोतीपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत कालियास तहसील आसीन्द द्वारा पटटा पत्रावली कमांक 64 दिनांक 01.01.1957 को निरस्त किये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री एस.के. भटट अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 की ओर से अनु.

निर्णय

दिनांक 30.06.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 94 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बडला तहसील आसीन्द में निगराकार का एक पुश्तैनी बाडा स्थित है। निगराकार अपने उक्त पुश्तैनी बाडे का उपयोग उपभोग पिताजी रामलाल जाट के समय से ही करता चला आ रहा है। उक्त बाडे पर निगराकार अपने मवेशियों को बांधता हैं। जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने पिता के नाम पर जो तथाकथित पटटा जारी होना बताया हैं वह उप सरपंच द्वारा जारी किया हुआ है, जबकि उप सरपंच द्वारा पटटा जारी करते समय सरपंच पद पर कार्य करने का कोई कार्यालय आदेश ही प्राप्त नहीं था। तथाकथित पटटे मे जो पडौस व नाप वर्णित किये है, उक्त पडौस व नाप का भूखण्ड मौके पर मौजूद ही नही हैं तथा तथाकथित पटटा जो 2224 वर्गगज का होना बताया हैं, उस क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का पंचायत को कोई अधिकार ही नही हैं। प्रश्नतगत पटटा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है। तथाकथित पटटे की कोई पत्रावली व रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध ही नहीं हैं। निवेदन है कि विपक्षी संख्या 03 द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम जो पटटा पत्रावली संख्या 64

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

के तहत उपसरपंच को पटटा जारी किये जाने के कोई अधिकार निहित नहीं हैं एवं यदि उपसरपंच को किन्हीं कारणों से पटटे पर हस्ताक्षर किये जाने हो तब, इस बाबत् ग्राम पंचायत कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर ही एवं सरपंच की मोहर पर ही उप सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते थे। किन्तु प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में पटटे की प्रति से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि पटटे पर उप सरपंच के हस्ताक्षर हैं, जो विधि मान्य नही होकर त्रुटिपूर्ण हैं।

ग्राम पंचायत कालियास तहसील आसीन्द द्वारा विपक्षी संख्या 01 व 02 के पिता को दिनांक 01.01.1957 से 2224 वर्गगज यानि 19823.83 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया जाना स्पष्ट होता हैं। जबकि ग्राम पचांयत को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कुल 2700 वर्गफीट तक पटटा जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं, 2700 वर्गफीट से अधिक क्षैत्रफल वाले भूखण्डों व मकानों के पटटे जरिये नीलामी अथवा डी.एल.सी. रेट से राजस्व शुल्क जमा कर पटटा जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने 2700 वर्गफीट से अधिक क्षैत्रफल का पटटा जारी कर विधि विरूद्व कार्य किया हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षीगण को जारी पटटा पत्रावली कमांक 64 दिनांकित 01.01.1957 विधि विरूद्व होने से पटटा खारिज योग्य ठहरता हैं। निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत कालियास द्वारा जारी पटटा पत्रावली कमांक 64 दिनांकित 01.01.1957 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कालियास तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)